भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 400669

अनुबन्ध–पत्र

प्रथम पक्ष	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी,जनपद गोण्डा।
द्वितीय पक्ष	मेसर्स, ओम मल्टी पर्पस सर्विसेस, शमसापुर, मनकापुर गोण्डा।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, गोण्डा द्वारा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में टीमो के भ्रमण हेतु प्रत्येक 16 सामु0स्वा0केन्द्र में 01 एवं 02 जनपद मुख्यालय पर टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 29.6.2019 को सम्पादित किया गया।

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 लखनऊ के पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0/ आर0बी0एस0के0 / 2/2018–19/6473–2 दिनांक 14.9.2018 के अन्तर्गत समस्त नियम शर्ते का दोनो पक्ष पालन करेगें।
2. द्वितीय पक्ष जिला गोण्डा के समस्त 16 सामु0स्वा0केन्द्र, (तरबगंज,बेलसर,मनकापुर, इटियाथोक, मुजेहना,पण्डरीकृपाल,रुपईडीह,नवाबगंज,वजीरगंज,हलधरमऊ,करनैलगंज,कटराबाजार,परसपुर,मसकनवां, बभनजोत, काजीदेवर,) प्रत्येक में 01 वाहन एवं 02 वाहन जनपद मुख्यालय पर कुल 18 वाहन की व्यवस्था करेगें।
3. अनुबंधित वाहन की उपलब्धता संबंधित चिकित्सा इकाई पर समय से प्रतिदिन कम से कम 08 घंटे अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
4. सभी टैक्सी परिमिट वाहन जी.पी.आर.एस. युक्त होंगें। जी.पी.आर.एस. का डाटा सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक के कार्यालय को बीजक के साथ उपलब्ध करायेगें। अधीक्षक/नोडल अधिकारी जी.पी.आर.एस. डाटा को लागबुक के साथ सत्यापन के उपरान्त ही बीजक का भुगतान किया जाय।
5. सम्बन्धित वाहन पूरे माह अधिकतम 2000 किमी0 तथा कम से कम 1500 किमी चलेगी। यदि वाहन 1500 किमी से कम चलती है, तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा।

Om Multipurpose Services
Arun Kr Pandey
Prop.

29/6/19

28.6.19

6. बन्द वाहन/वाहन चालक, ईंधन, मरम्मत सहित रु0 32550.00 (रूपये बत्तीस हजार पांच सौ पचास मात्र) प्रतिमाह (25 दिन) की दर से भुगतान किया जायेगा।
7. वाहन ऐसा होगा जिसमें टीम के 04 सदस्यों की बैठने एवं सामान रखने की समुचित व्यवस्था होगी।
8. वाहन उपलब्धता का समय प्रात 08 बजे से सायं 04 बजे तक होगी।
9. टैक्सी परमिट, डी0एल0, आर0सी0, कम्प्रीहेन्सिव इश्योरेंस, रोड टैक्स की अर्हता पूरी है, तथा सर्विस टैक्स/डीजल/मोबिल/वाहन चालक के मानदेय का भुगतान भी वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
10. वाहन को चालू हालत मे रखने हेतु समय–समय पर इसकी साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। वाहन की नियमित जांच हेतु यदि कभी वाहन को गैरेज आदि भेजना पडे तो उस अवधि में सेवा प्रदाता को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
11. वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाइल रहेगा।
12. अनुबन्ध दिनांक 29.6.2019 से 02 वर्ष तक के लिए होगी जो कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बिलों के परीक्षणपरोन्त सही पाये जाने पर 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा अधोहस्ताक्षरी के निर्णय के अधीन होगा।
15. बिलो का भुगतान सम्बन्धित अधीक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त किया जायेगा।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि रु0 1,00,000.00(रुपये एक लाख मात्र) भी जब्त कर ली जायेगी।
17. यदि एन0एच0एम0 के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किराये में कोई वृद्धि की जाती है, तो बढी हुई दर नियमानुसार एजेन्सी को दिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

दोनो पक्षो को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार है, तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षर......................................
अनुबन्धित संस्था..............................
द्वितीय पक्ष

Om Multipurpose Services
Arun Kr. Pandey
Prop.

हस्ताक्षर........................ 29.6.19
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
जनपदीय स्वास्थ्य समिति–एन0एच0एम0
प्रथम पक्ष जनपद गोण्डा
स्थान......................दिनांक......................

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।

पत्रांक : मु0चि0अ0/रा0स्वा0मि0/आरबीएसके वाहन आपूर्ति/2019/1118 दिनांक: 01/07/19 ~~जून, 2019~~

मेसर्स मारूति नन्दन इण्टर प्राइजेज एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स,
<u>ग्राम नेवारी दर्जीकुआं, जनपद–गोण्डा।</u>

विषय : <u>एन0एच0एम0 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निविदा के आधार पर अनुबंधित वाहनों की आपूर्ति करने के संबंध में।</u>

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु एन0एच0एम0 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आमंत्रित ई–निविदा जो दिनांक 18.01.2019 को निविदा समिति द्वारा खोला व स्वीकृति दिया गया व तत्क्रम में जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक 06.02.2019 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जनपद गोण्डा में 02 वाहन प्रत्येक ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु कुल 32 वाहन जनपद के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर टैक्सी वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों हेतु आपकी निविदा स्वीकृति दर रू0 32500.00 (रूपये बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) प्रतिवाहन, प्रतिमाह (समस्त करों सहित) अनुबंध के नियमों व शर्तो पर अनुबंधित कर आपूर्ति हेतु आदेशित किया जाता है।

उपरोक्त क्रम में आपको सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा की स्वीकृति दर 32500.00 (रूपये बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) प्रतिवाहन, प्रतिमाह (समस्त करों सहित) अनुबंध के नियमों व शर्तो पर आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक के लिए जनपद के अन्य 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर टैक्सी वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों की आपूर्ति करते हुए वाहनों का संचालन करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

28.6.19

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांक : मु0चि0अ0/रा0स्वा0मि0/आरबीएसके वाहन आपूर्ति/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. नोडल अधिकारी आर.सी.एच., गोण्डा।
4. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, गोण्डा।
7. जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, गोण्डा।
8. समस्त अधीक्षक सामु0चिकित्सा केन्द जनपद–गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार नामित उक्त संस्था द्वारा आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संलग्न सूची के सापेक्ष टैक्सी वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों की आपूर्ति की जा रही है। आपूर्ति किये जा रहे वाहन से नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन कराना सुनिश्चित करें।
9. मेसर्स मारूति नन्दन इण्टर प्राइजेज एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स, ग्राम नेवारी दर्जीकुआं, जनपद–गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार टैक्सी वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों की आपूर्ति करते संबंधित 16 सामु0स्वा0केन्द्रों पर करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गोण्डा।

प्रति हस्ताक्षरित

01.07.19

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गोण्डा

From-

Ommultipurpose Services,
Samshapur, Mankapur,
District - Gonda

To -

The Respectfully Chief Medical Officer sir
District - Gonda

Subject - Details of Taxi Permit Vehicle For Supportive Supervision Under NHM.

Sir,

Details and Taxi Permit Vehicles are being Provided for Supportive Supervision under NHM.

DETAILS OF VEHICLES UNDER SUPPORTIVE SUPERVISION FOR 2019 -2020

Sl.	Name of C.H.C/ Distric	Registration No.of Vehicle	Type of Vehicle	Tax Permit No.	Validity
1	MANKAPUR	UP43T6452	BOLERO(Taxi Permit)	UP/43/102/AITP/2015/80	11-Mar-20
2	CHAPIYA	UP32LN9991	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/32/AITP/2019/771	31-May-20
3	BABHANJOT	UP32KN7465	BOLERO(Taxi Permit)	UP/32/AITP/2018/1951	12-Aug-23
4	TARABGANJ	UP43T8128	BOLERO(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2017/02980	20-May-22
5	HALDHARMAU	UP43T6080	MOTAR CAB(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2014/05108	18-Sep-19
6	PARASPUR	UP43T5512	BOLERO(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2018/04091	02-Oct-22
7	CORNELGANJ	UP43U1010	BOLERO(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2018/01999	04-Apr-23
8	MUJEHANA	UP32FN6365	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/32/102/AITP/2016/3705	28-Jan-21
9	WAZERGANJ	UP43T7572	BOLERO(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2016/04814	19-Oct-21
10	NAWABGANJ	UP42BT2041	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/42/102/AITP/2017/198	24-Oct-22
11	KAZEDEVAR	UP43M3008	BOLERO(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2017/05674	24-Sep-22
12	PADRIKRIPAL	UP43T9552	BOLERO(Taxi Permit)	UP/43/AITP/2018/26	01-Jun-23
13	ITIYATHOK	UP32FN2576	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/32/102/AITP/2015/3113	03-Aug-20
14	KATRABAZAR	UP32EN3201	MOTAR CAB(Taxi Permit)	CC/STA/UP/2019/00702	30-Jun-24
15	KHARGUPUR	UP32FN7525	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/32/102/AITP/2016/3863	09-Mar-21
16	BELSAR	UP43T6460	BOLERO(Taxi Permit)	UP/43/102/AITP/2016/115	19-Oct-21
17	DISTRICT-I	UP43T6566	BOLERO(Taxi Permit)	UP/43/102/AITP/2015/88	07-May-20
18	DISTRICT-II	UP32KN0924	MOTAR CAB(Taxi Permit)	UP/32/AITP/2018/617	15-Mar-23

Om Multipurpose Services

Arun Kr Pandey

Prop.